07.03.2024

वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज सिगह से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी निवदेन किया कि वाद प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम इन्द्रपुरा, पालडी प0ह0 पालडी भू0अ0नि0 सागानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1. नारायण लाल पिता केदारलाल जाति लढढा सा0 देह खातेदार के नाम ग्राम इन्द्रपुरा, पालडी की निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

ग्राम इन्द्रपुरा के आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1014	0.1138	—
1041	0.2150	—
1044	0.2023	—
1048	0.0885	—
1049	0.5311	—
किता 5	**1.1507 है0**	—
ग्राम पालडी के आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1038/2	0.4004	—
1040	0.5564	—
किता 02	**0.9568 है0**	**—**

2. चान्दी पत्नि काना 1/2, डाली पुत्री काना 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

ग्राम पालडी के आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1038/1	0.4215	—
किता 1	**0.4215 है0**	**—**

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

Ahlad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1–श्री नारायण लाल पिता केदारमल लढढा निवासी 02 एफ 11 आर0सी0 व्यास कालोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—वादी

बनाम

1–श्रीमति चांदी पत्नि काना गुर्जर निवासी ईन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2–श्रीमति डाली पुत्री काना गुर्जर निवासी ईन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या 87/2023 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैन उपस्थित प्रतिवादीगण की और से – इस वाद में तारीख 07.03.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिकी दी जाती है –

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम इन्द्रपुरा, पालडी प0ह0 पालडी भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकाई में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. नारायण लाल पिता केदारलाल जाति लढढा सा0 देह खातेदार के नाम ग्राम इन्द्रपुरा, पालडी की निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

ग्राम इन्द्रपुरा के आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1014	0.1138	–
1041	0.2150	–
1044	0.2023	–
1048	0.0885	–
1049	0.5311	–
किता 5	**1.1507 है0**	–
ग्राम पालडी के आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1038/2	0.4004	–
1040	0.5564	–
किता 02	**0.9568**	–

2. चान्दी पत्नि काना 1/2, डाली पुत्री काना 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

ग्राम पालडी के आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1038/1	0.4215	–
किता 1	**0.4215 है0**	–

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिकी का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

आज दिनांक 07.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाडा